"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 174] रायपुर, सोमवार, दिनांक 22 अप्रैल 2024 — वैशाख 2, शक 1946

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 अप्रैल 2024

अधिसूचना

क्रमांक/एफ–9–5/2023/तक.शि/42.— राज्य शासन अपनी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ तकनीकी संस्थानों के मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एम.सी.ए.) एवं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (बी.टेक.) पाठ्यक्रमों में विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 9–5/2023/तक.शि./42, दिनांक 11–05–2023 प्रवेश हेतु निम्नांकित संशोधन करता है, अर्थात्–

मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एम.सी.ए.) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश नियम–2003 में संशोधन–

क्र.	पूर्व में अधिसूचित प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	**4. प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता** – (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12 वीं कक्षा में गणित विषय के साथ अथवा स्नातक स्तर पर गणित विषय के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से बी.ई./बी.टेक. /बीएससी /बी.कॉम/बीए/ बी.वोकेशनल/बी.सी.ए. / संकाय/विषय में स्नातक उपाधि अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण। गणित से संबंधित गणित के अन्य विषय जैसे :– बिजनेस गणित, बेसिक गणित आदि मान्य नहीं किये जायेंगे। तथापि गणित के उच्च विषय जैसे उच्च गणित मान्य किये जायेंगे।	**4. प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता** – (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा में गणित विषय के साथ अथवा स्नातक स्तर पर गणित विषय के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से बी.ई./बी. टेक./बीएससी/बी.कॉम/ बीए/ बी.वोकेशनल /बी.सी.ए./ **अन्य** संकाय/ विषय में स्नातक उपाधि अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण। गणित से संबंधित गणित के अन्य विषय जैसे :– बिजनेस गणित, बेसिक गणित आदि मान्य नहीं किये जायेंगे। तथापि गणित के उच्च विषय जैसे उच्च गणित मान्य किये जायेंगे।
	4. Educational Qualification for Admission. - Passed 12th Examination under (10+2) education system with Mathematics subject or Passed Bachelor's degree with Mathematics subject at Graduation level in BE/ B.Tech./ B.Sc/ B.Com/ BA/ B.Vocational / B.C.A Faculty/ Subject from a recognized University/ Institution with at least 50% marks for unreserved category and 45% marks for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and Persons with Disability of Chhattisgarh. Allied subjects related to Mathematics like:- Business Mathematics, Basic Mathematics etc. are not acceptable. However, higher subject of Mathematics like Higher Mathematics is acceptable.	**4. Educational Qualification for Admission. -** Passed 12th Examination under (10+2) educationsystem with Mathematics subjector Passed Bachelor's degree with Mathematics subject at Graduation level in BE/ B.Tech./ .Sc/B.Com/BA/B.Vocational/ B.C.A/ **Any** Faculty/ Subject from a recognized University/ Institution with at least 50% marks for unreserved category and 45% marks for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and Persons with Disability of Chhattisgarh. Allied subjects related to Mathematics like:- Business Mathematics, Basic Mathematics etc. are not acceptable. However, higher subject of Mathematics like Higher Mathematics is acceptable.

बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी(बी.टेक.) पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम–2023 में संशोधन–

क्र.		
	4. प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता– (2) बी.टेक. (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) में प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय / संस्थान से इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी की किसी भी शाखा में त्रिवर्षीय डिप्लोमा/द्विवर्षीय डिप्लोमा (लेटरल एण्ट्री) परीक्षा, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण। अथवा मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय /संस्थान से बी.एस.सी. परीक्षा, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण। इसके अतिरिक्त 12 वीं कक्षा में गणित विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।	**4. प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता–** (2) बी.टेक. (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) में प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी की किसी भी शाखा में त्रिवर्षीय डिप्लोमा/द्विवर्षीय डिप्लोमा (लेटरल एण्ट्री) परीक्षा, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण। अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से बी.एस.सी. परीक्षा, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण। इसके अतिरिक्त 12 वीं कक्षा में गणित विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। **अथवा** **मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से उसी अथवा संबंधित सेक्टर के बी.वॉक./3–वर्षीय डी.वॉक. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण।**
	4 Educational Qualification for Admission. – (2) For admission to B.Tech. (Lateral Entry Second Year) program-Passed Three-year Diploma /Two-year Diploma (LateralEntry) Examination in any branch of Engineering and Technology from a recognized Board/ University/Institute with at least 45% marks for unreserved categoryand40% marks for candidates of Chhattisgarh belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and persons with Disability. Or Passed Bachelor of Science (B.Sc.) Examination from a recognized University/ Institute, with at least 45% marks for the unreserved category and 40 % marks for candidates of Chhattisgarh belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with Disability. Apart from this, it is mandatory to pass in Mathematics in class 12th examination.	**4 Educational Qualification for Admission. –** (2) For admission to B.Tech. (Lateral Entry Second Year) program- Passed Three-year Diploma/ Two-year Diploma (Lateral Entry) Examination in any branch of Engineering and Technology from a recognized Board/ University/ Institute with at least 45% marks for unreserved category and 40% marks for candidates of Chhattisgarh belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and persons with Disability. Or Passed Bachelor of Science (B.Sc.) Examination from a recognized University/ Institute, with at least 45% marks for the unreserved category and 40 % marks for candidates of Chhattisgarh belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with Disability. Apart from this, it is mandatory to pass in Mathematics in class 12th examination. Or **Passed B.Voc./ 3-Year D.Voc. Stream from recognized Board or University, in the same or allied Sector.**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव अहिरे, उप–सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2024.